ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No: UPBIL04292,
RNI REG.No.:UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No. 561/2013-14
Vol.-5, No.-I, PP-150-152, YEAR JUNE 2016

मानवाधिकार संरक्षण और गैर सरकारी संगठन (NGO)

❑ डॉ0 अयोध्या नाथ त्रिपाठी

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पूर्व मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर उलंघन हुआ। विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरान्त मानवाधिकारों के सम्बर्धन एवं सरंक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के समय से ही प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1946 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया। मानवाधिकारों की सार्वर्भामिक घोषणा एकं विस्तृत एवं विषद् द्स्तावेज है जो सम्प्रभु राज्यों की सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करती है।1 मानवाधिकारों की परिभाषा की प्रक्रिया में 1948 की घोषणा को वास्तविक मैग्नाकांर्टा माना जा सकता है, जो मानव को 'भय मुक्त' तथा 'भूखमुक्त जीवन' सुनिश्चित करने में सहायता करती है।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के महत्व को तो स्वीकार करते हैं लेकिन मानवाधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी तंत्र की स्थापना को लेकर किसी एक मत पर सहमत नहीं थे। आज के सार्वजनिक जीवन में मानवाधिकारों ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण गैर सरकारी संस्थाएं (Non Governmental organisation NGO's) है।2 गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार आन्दोलन में पिछले 65 वर्षों में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। ये गैर सरकारी संस्थायें सरकारों की अपेक्षा ज्यादा आस्था और विश्वास का आह्वान कर सकती है, क्योंकि सरकारों में संदेह किया जाता है कि वे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होते है और राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते है।3 इन गैर राजनीतिक संगठनों का विद्यमान होना ही मानवाधिकार, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार तथा स्वत्रंत संगम के अधिकार की दृढ़ता पूर्वक मांग की परिचायक है।

मानवाधिकार के सम्बर्धन और संरक्षण में गैर सरकारी संगठन तीन रूपों में सहायक हो सकते है। प्रथम, यह संगठन मानवाधिकार के उल्लंघन का पता लगाकर उन्हें जन साधारण के ध्यान में लाये तथा उसके निवारण का प्रयत्न करें। दूसरे, ये गैर सरकारी संगठन जन साधारण से जुड़े होने के कारण मानवाधिकार उल्लंघन के गम्भीर और अति संवेदनशील मामलों में तथा अन्वेषण की प्रक्रिया में हर स्तर पर सहायता कर सकते है। तीसरे, जैसा कि मानवाधिकार आयोग कहता है ''मानवाधिकार कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों में गैर सरकारी संस्थाओं की निजी उच्च स्तरीय विशेषज्ञता, आयोग के लिए अत्यधिक उपयोगी स्त्रोत बन सकती है क्योंकि आयोग विशिष्ट मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जैसे बाल श्रम और बंधुआ मजदूरों की समस्यायें। ''

मानवाधिकार सम्बन्धी गैर सरकारी संस्थाओं के विश्व में प्रादुर्भाव का मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पांच करोड़ लोगों की मृत्यु को कहा जा सकता है। 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रारूप तैयार करने में गैर सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अमेरिकन जीविश कमेटी, द फेडरल (वाद में नेशनल) कौंसिल आफ चार्चेज और कमीशन

❑ एसोशियेट प्रोफेसर, उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पडरौना,कुशीनगर (उ0प्र0)भारत

टू स्टडी द आर्गेनाइजेशन आफ पीस (शांति के संगठन के लिए आयोग) प्रमुख है। 1961 में लंदन में स्थापित ''एमनेस्टी इन्टरनेशनल'' जिसे एक आन्दोलन और संस्था दोनों कहा जाता है, ने विश्व में बन्दी कैदियों, अमानवीय तथा अपमानजनक, क्रूर यातना दिये जाने वाले प्रतिबन्धित व्यक्तियों, जिन्होंने हिसा का प्रयोग या वकालत किया है या नहीं, का विरोध किया।

एमनेस्टी इन्टरनेशनल की भांति 1952 में वर्लिन में स्थापित एक अन्य गैर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इन्टरनेशनल कमीशन आफ ज्यूरिस्ट्स (The International commission of Jurists) है। यह संगठन ''विधि द्वारा शासन के माध्यम से मानवाधिकार सम्बर्धन हेतु लड़ने में पूरे विश्व में वकीलों की अन्तर्आत्मा का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करता है।4 नाटो(NATO), वारसापैक्ट (WARSA PACT), यूरोप के तटस्थ और गुटनिर्पेक्ष देशों द्वारा 1 अगस्त 1975 को हेलिसिनकी फाइनल एक्ट (HELSINKI FINAL ACT) अंगीकार किया गया, जिसमें हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने''मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं'' सम्बन्धी प्रावधानों का पालन करने काआह्वान किया। जून 1993 में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन हुआ, उसमें 800 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि विश्व में मानवाधिकारों को लेकर गैर सरकारी संगठन न केवल लोकमत का निर्माण करते हैं। वरन् ये विनिश्चयात्मक परिणामों को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं।

मानवाधिकार संरक्षण के लिए विश्व में तमाम गैर सरकारी संगठन सक्रिय है। उनमें प्रमुख हैः विनाइ विरिथ, वर्ल्ड पीस थ्रू लॉ सेन्टर, इन्टरनेशनल लीग फार दी राइट्स आफ मैंन, लाइयर्स कमेटी फार ह्यूमन राइट्स, फिजिसियन्स फार ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स वाच, इन्टरनेशनल लॉ एशोसिएशन आदि। मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए न सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वरन् भारत में भी अनेक गैर सरकारी संगठन सक्रिय है इनमें प्रमुख है– बन्धुआ मुक्ति मोर्चा, पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स कामनकाज, पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिवर्टीज, सिटिजन्स वेल फेयर फोरम, रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटिलमेन्ट केन्द्र (देहरादून) , एस0सी0लीगल एण्ड कमेटी, वेस्ट बंगाल चिल्ड्रेन एड सोसाइटी, तमिलनाडु विधि सहायता एवं परामर्श बोर्ड, सहेली, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन्स फोरम, दी राइटर्स इन प्रिजन कमेटी ऑफ इन्टरनेशनल– पी0इ0यन0 इत्यादि। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12(1) में यह स्वीकार किया गया है कि ''मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का कार्य मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया है। मानवाधिकार आयोग इसे स्वीकार भी करता है''।

अब जब मानवाधिकार उल्लंघन की जांच और अन्वेषण का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किया जा रहा है बहुत से गैर सरकारी संगठन न्यायालयों में सीधे वाद या रिट याचिकायें दाखिल करके या मानवाधिकार आयोग को शिकायतें भेज कर लोगों को बड़े पैमाने पर राहत दिलाई है।

वास्तव में मानवाधिकारवादी संगठन दुनिया के सभी देशों में फैले हुए है। उनमें से कुछ स्वतंत्र वाक्, जनतंत्र, धार्मिक और मूलवंशीय (जातीय) सहिष्णुता के लिए अपना जीवन और जीविका का जोखिम उठा रहें है। कतिपय ऐसे है जो यातना, मनमाने कारावास और दासता के समकालीन रूपों के विरूद्ध बोल रहें है।5 इसके अतिरिक्त बहुत सारे राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठन भी है जो महिलाओं तथा लड़कियों में मानव दुर्व्यापार को रोकने, विकास को बढ़ावा देने, बालश्रम को सीमित करने, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को प्रभावित करने के लिए कार्य कर रहें है। इन सभी संस्थाओं के प्रयास से मानवाधिकार हनन रूका तो नहीं, परन्तु आज अन्तर्राष्ट्रीय मावाधिकार आन्दोलन ने जो शक्ति प्राप्त कर ली है,वर्तमान सदी में इसमे प्रगति ही होनी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विस्ट्रीकी, रूडोल्फ : ''द यूनिवर सैलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स इन वर्ल्ड ऑफ कॉनफ्लीक्टिंग आइडियालाजीज'' यडी और सोचू द्वारा सम्पादित इन्टरनेशनल प्रोटेक्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स में पृष्ठ 83।
2. कोरे, विलियम :''एन0जी0ओज–फिफ्टी इयर्स ऑफ एडवोकेटिंग ह्यूमन राइट्स'' जनरल इसूज आफ डेमोक्रेसी,यूनाइटेड स्टेट्स इनफॉरमेशन सर्विस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवम्बर 1998,पृष्ठ 42।
3. सहावुद्दीन, सैय्दः 'इम्प्लीमेन्टेशन आफ ह्यूमन राइट्स'' सिधंवी द्वारा सम्पादित होराइजन्स आफ फ्रीडम में पृष्ठ 171, प्रोटेक्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1967 में पृष्ठ 161।
4. स्कोबुल, यच0एन0 और यल0 यस0 वाइजवर्ग : ह्यूमन राइट्स एन0 जी0 ओज–नोट्स टुवर्ड कमपैरेटिव एनालसिस''ह्यूमन राइट्स जनरल 1976 पृष्ठ 624।
5. त्रिपाठी, डॉ0 टी0पी0 मानवाधिकार, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स 2009, पृष्ठ 290।

*****